न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 3913 सन 2017

रजनीश उर्फ रज्जू.....बनाम .....उ0प्र0राज्य

धाराः 147,148,149,302 व 120बी भा0दं0सं0

थानाः बी बी नगर, बुलन्दशहर।

मु0अ0संख्याः 180 सन 2017

05.12.2017 **आदेश**

यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी–अभियुक्त रजनीश उर्फ रज्जू पुत्र वीरपाल सिंह निवासी ग्राम होशदारपुरगढी, थाना बाबूगढ, जिला हापुड की ओर से मु0 अ0 सं0 180 सन 2017, धारा 147, 148, 149, 302 व 120बी भा0 दं0 सं0 थाना बी0बी0नगर, जिला बुलन्दशहर में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कहानी के अनुसार रहिशपाल सिंह के द्वारा थाना बी बी नगर पर सूचना दी गयी कि कल दिनांक 09–08–2017 को सुबह लगभग 9 बजे रजनीश पुत्र वीरपाल, व वीरपाल पुत्र कमल सिंह निवासी ग्राम होशदारपुर गढी थाना बाबूगढ जिला हापुड अपने चार अन्य साथियों के साथ उसके घर पहुंचे तथा अपनी सफेद स्कार्पियो यू पी 16 ए वाई 7822 से उसके बेटे ललित कुमार को अपने साथ ले गये। आज दिनांक 10–08–2017 को सुबह करीब 06:30 बजे थाना बी बी नगर ने सूचना दी कि उसके बेटे ललित का शव गांव इकलेडी के जंगल में पडा है तथा वहीं आसपास एक स्कार्पियो यू पी 16 ए वाई 7822 भी खडी है। उक्त सूचना पर वादी अपने परिजनों के साथ घटना स्थल पर जंगल ग्राम इकलेडी में आया तो उसके पुत्र का शव रक्तरंजित पडा है। उसके पुत्र की उपरोक्त रजनीश आदि ने हत्या कर दी है।

प्रार्थी अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र में कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं दर्शाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका कोई रौल नहीं दर्शाया है। उससे कोई वस्तु बरामद नहीं है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त सक्षम जमानत देने को तैयार है, वह दिनांक 14–08–2017 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियोजन द्वारा आपत्ति करते हुए कहा गया कि प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उभय पक्ष को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

अभियोजन कहानी के अनुसार प्रार्थी–अभियुक्त रजनीश अपने पिता वीरपाल व चार अन्य के साथ मृतक ललित कुमार को उसके घर से ले गये, मृतक की पत्नी सीमा के बयान में आया है कि उसके पति ने फोन करके कहा कि वह हापुड में वीरपाल, रजनीश, गोल्डी, कैलाश उर्फ मुखिया के साथ में है, हापुड वाला मकान बेचने की बात चल रही है, घर लौटने में देरी होगी। उसी दिन मृतक की मॉ सुशीला व गवाह सन्तोष पत्नी जवाहर सिंह का बयान हुआ है दोनों ने बताया है कि रजनीश व वीरपाल स्कार्पियो गाडी से घर आये थे। हापुड प्लाट बेचने के लिए ले गये। इस प्रकार आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है, अन्तिम दृश्य तक साथ रहा है। आवेदक रजनीश मुख्य अभियुक्त है उसने साजिश के तहत मृतक को मारने की योजना बनाई, दिनांक 09–08–2017 को आवेदन अपने पिता व 4 अन्य के साथ वादी के घर गया और वहां से यह कहकर मृतक को अपने साथ ले गये कि एक मकान का सौदा करना है, मृतक को इतनी गोलियां मारी कि उसके शरीर को छलनी कर दिया। स्कार्पियो गाडी शव के पास से बरामद हुई है।

उभयपक्ष के तर्को का सुनने, प्रपत्रों के अवलोकन के उपरान्त अपराध की प्रकृति, मामले की परिस्थिति, वादी रहीशपाल सिंह, मृतक की पत्नी सीमा, एवं मॉ श्रीमती सुशीला के बयान को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त रजनीश उर्फ रज्जू की तरफ से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 05–12–2017

(रमेश गुप्त)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।